उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

संख्या- 22/2017/1668/अडतीस-7-2017-134/2015टीसी

लखनऊ दिनांक 27 अक्टूबर, 2017

शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2017-18 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक मद में धनराशि की स्वीकृति से संबंधित शासनादेश संख्या-1512/38-7-2017-134/2015टीसी दिनांक 28-09-2017 के उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में उल्लिखित अंश के स्थान पर निम्नवत पढा जाय:-

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक: 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

2- उक्त संदर्भित शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय

(विजय बहादुर वर्मा)
उप सचिव।

संख्या- 22/2017/1668(1)/अड्तीस-7-2017 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक(स्किल्स), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार(रूर्बन डिवीजन), कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर आयुक्त (वित्त/मनरेगा), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मण्डलायुक्त, आगरा, चित्रकूट मण्डल एवं देवीपाटल मण्डल उत्तर प्रदेश।
8. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, आगरा, महोबा एवं बहराइच, उ0प्र0।
9. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
11. राज्य योजना आयोग-1/2
12. विशेष कार्याधिकारी,ग्राम्य विकास विभाग।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(विजय बहादुर वर्मा)
उप सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।